



PROUD TO BE INDIAN  
PRIVILEGED TO BE GLOBAL

# BSL Ltd.

REGD. OFFICE : 26, Industrial Area,  
Gandhi Nagar, BHILWARA - 311 001 (Rajasthan) INDIA  
Tel. : (91-1482) 249101,(2 Lines) 245000  
E-mail : accounts@bslsuitings.com, Website: www.bslltd.com  
C.I.N.: L24302RJ1970PLC002266



REF: BSL/CS/2022-23

Dated: 31/08/2022

<b>National Stock Exchange of India Ltd</b> Listing Department Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E) Mumbai- 400 051 NSE Symbol: BSL	<b>BSE Ltd</b> Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001  BSE Scrip Code: 514045
---	---

**Subject: Submission of Newspaper Publication- Notice of 51<sup>st</sup> Annual General Meeting**

Dear Sir/Ma'am,


In terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspapers advertisement regarding completion of dispatch of Annual Report and Notice of 51<sup>st</sup> Annual General Meeting through electronic mode published in "The Financial Express" in English language and in "Nafa Nuksan" and "Business Remedies" in Hindi language.

The Public Notice is also available on the Company's [website www.bslltd.com](http://www.bslltd.com).

Kindly take the same on record.

Thanking you,  
Yours Faithfully

For BSL Limited

  
(Aanchal Patni)  
Company Secretary

ACS-43134

Enc: a/a



**Form No. INC-26**  
[Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one State to another BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR,

**NORTHERN REGION, NEW DELHI IN THE MATTER OF SUB-SECTION (4) OF SECTION 13 OF COMPANIES ACT, 2013, AND CLAUSE (a) OF SUB-RULE (5) OF RULE 30 OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014**

**AND IN THE MATTER OF CRM SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED**

(CIN: U72900DL2001PTC113076) HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT E-44/3 GROUND FLOOR OKHLA INDUSTRIAL AREA PHASE II NEW DELHI 110020 INDIA

.....PETITIONER  
Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Regional Director under section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual general meeting held on Monday, August 08, 2022, to enable the company to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Maharashtra, Mumbai".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, Northern Region, at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner company at its registered office at the address mentioned below.

**For and on behalf of the Petitioner CRM Services India Private Limited**  
Sd/-  
**Amit Gupta**  
Director  
Date: 31.08.2022  
Place: Gurugram DIN: 06662077  
Current registered office of the Company: E-44/3, Ground floor, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi - 110020, India.

**Superhouse Limited**  
Registered Office: 150 Feet Road, Jajmau, Kanpur | CIN: L24231UP1980PLC004910

**Notice of the 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting Information**

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of Members of the company will be held on Friday, 30th September, 2022 at 10.00 A.M. at the Office of the Company at 219/3 & 4 'L' Block, Naveen Nagar, Kakadeo, Kanpur-208025, Uttar Pradesh. The Notice of convening the Annual General Meeting and Annual Report 2021-22 has been sent to the members whose email addresses are registered with the company/depository participant (s). The notice alongwith the Annual Report for the Financial Year 2021-22 is also available on the company's website at <http://www.superhouse.in>.

It is further notified that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the register of members and share transfer books of the company will remain closed from Friday, 16th September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of payment of Dividend and Annual General Meeting for the Financial Year that ended on 31st March, 2022.

As per section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their votes by electronic means in respect of the business said forth in the Notice, through electronic Voting ("Remote e-Voting") facility extended by National Securities Depository Limited (NSDL). The details prescribed by the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder are given below:-

- The members may cast their votes using an electronic voting system to vote on resolutions proposed to be passed in the meeting by electronic means.
- Date and time of commencement of remote e-Voting: Monday, 26th September, 2022 at 9.00 A.M.
- Date and time of end of remote e-Voting: Thursday, 29th September, 2022 at 5.00 P.M.
- The cut-off date to record the entitlement of the Members to cast their votes at the AGM is Friday, 23rd September, 2022.
- Any person, who acquires shares of the company and becomes a member of the company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 23rd September, 2022 may obtain the User ID and Password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [share@superhouse.in](mailto:share@superhouse.in). However, if such person is already registered with NSDL for remote e-Voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting his/her vote.
- Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on Thursday, 29th September, 2022.
- The facility for voting ballot/polling Paper shall be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by means of remote e-Voting shall be able to cast their vote at the AGM through ballot/polling paper.
- A member may participate in the annual general meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- A member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on cut-off-date i.e. Friday, 23rd September, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the annual general meeting.
- The notice of AGM is available on the website of the company at <http://www.superhouse.in> and that of agency at <http://www.evoting.nsdl.com>
- For any queries/grievances connected with facility for electronic means, the members may contact Mr. Virendra Rana, Director, M/s Skyline Financial Services (P) Limited, D-153/A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 email ID: [viren@skylinefinancial.com](mailto:viren@skylinefinancial.com) Telephone No. 011-26812682, 26812683, 40450193-197.
- For electronic voting instructions, members may go through the information and instructions relating to E-Voting sent alongwith Notice of the AGM and in case of any queries/grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-Voting User Manual for Members available at the downloads sections of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free No. 1800-222-990

**For Superhouse Limited**  
Sd/-  
**R.K. Agrawal**  
Company Secretary

Date : 30.08.2022  
Place : Kanpur

**ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED**  
CIN No.: L51503DL1985PLC020195  
Regd. Office: DSC 260 South Court, DLF Saket New, Delhi-110017 | Tel: +91-7048959386  
Email: [adhbhut.infra@rediffmail.com](mailto:adhbhut.infra@rediffmail.com) | Website: [www.adhbhutinfra.in](http://www.adhbhutinfra.in)

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2022**

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30/06/2022 (Un-Audited)	31/03/2022 (Audited)	30/06/2021 (Un-Audited)	31/03/2022 (Audited)
1.	Total Income from operations	91.91	257.61	—	263.06
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	80.96	(80.60)	(6.87)	(105.96)
3.	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional &/or extraordinary items)	(1,175.44)	(80.60)	(6.87)	(105.96)
4.	Net Profit for the period after tax from continuing business (after exceptional and/or extraordinary items)	(1,175.44)	(80.60)	(6.87)	(105.96)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) & other Comprehensive Income (after tax))	(1,175.44)	(80.60)	(6.87)	(105.96)
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	(633.21)
8.	Earnings per Share (Face Value of Rs. 10/- each) for continuing operations	(a) Basic (10.69)	(0.73)	(0.06)	(0.96)
	(b) Diluted (10.69)	(0.73)	(0.06)	(0.96)	

- Note:**
- The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 29th August 2022 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on 29th August 2022.
  - In accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the statutory auditors have performed an limited review of the standalone financial results of the Company for the quarter ended 30th June, 2022. There are no modifications in the audit reports.
  - The Financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).
  - As the Company has only one Operating Segment, disclosure under Ind AS 108-Operating Segment is not applicable.
  - Previous period's figures have been re-grouped/re-classified to render them comparable with the figures of the current period.
  - The management has considered the possible impact of disruption caused by restriction imposed to contain COVID-19 spread, on the Company, including of assessment of liquidity and going concern assumption and carrying value of assets, as at 30th June 2022. Based on such assumption, it has concluded that none of the assets are likely to be impaired. The company will continue to monitor the future economic conditions and its consequent impact on the business operations, given the nature of the pandemic.
  - Exceptional item include the impairment loss in respect building for Rs. 1,256.40 lakhs on the basis of valuation report dated 25th July, 2022 by the Registered Valuer.
  - Other income include the reversal of provision for debtors for Rs. 63.11 lakhs. Revenue from operations include unbilled revenue of 15.90 lakh has been booked on the basis of contract whose invoices are raised after words. Accordingly GST liability is also booked on the raising of invoices. The Company has given the asset on rent whose rent is negotiated from 19.36 lakh per month to 7.95 lakhs per month with reduce area.
  - The Financial Results for the Quarter ended 30th June 2022 is available on the website of the Company <https://adhbhutinfra.in> and the website of BSE i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

For and on behalf of Board of Directors  
**Adhbhut Infrastructure Limited**  
Sd/-  
**Anubhav Dham**  
Whole Time Director  
Date: 30.08.2022  
Place: New Delhi  
DIN: 02656812

**उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड**  
9-ए, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001 Tel No. (0522) 2628310, 2283121  
PBX 2612849, 2615722, 2201856 Gram: 'SUGARFED' Fax: (0522) 2627994  
E-mail : [upsugarfed@yahoo.co.in](mailto:upsugarfed@yahoo.co.in) Website : [www.upsugarfed.org](http://www.upsugarfed.org)  
संस्था पं-9851 यू.पी.ए. / दिनांक - 30.08.2022

**E-TENDER NOTICE**

On line e-tenders are invited from Manufacturers/ Authorised dealer for Lime, Caustic soda, & Special Grease for mill bearing (as per details given in tender documents) to various Cooperative Sugar Factories of U.P. The e-tender documents with detailed specifications, terms and conditions etc. can be downloaded from e-tender portal <http://etender.up.nic.in> & federation website [www.upsugarfed.org](http://www.upsugarfed.org). The Federation reserves the right to cancel any or all bids/annual e-bidding process without assigning any reason to & decision of Federation will be final & binding.

(RAMAKANT PANDEY)  
MANAGING DIRECTOR

**BSL LIMITED**  
CIN : L24302RJ1970PLC002266  
Regd. Office: 26, Industrial Area, Gandhi Nagar, Bhiwara - 311 001 (Rajasthan)  
Tel. : +91-1482-249101-102, 245000;  
E-mail: [accounts@bslsuitings.com](mailto:accounts@bslsuitings.com); Website : [www.bslltd.com](http://www.bslltd.com)

**NOTICE OF THE 51<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

In continuation of our newspaper advertisement dated 17<sup>th</sup> August, 2022, NOTICE is hereby given that the 51<sup>st</sup> Annual General Meeting ("AGM") of BSL Ltd ("the Company") will be held on Wednesday, the 28th day of September, 2022 at 04:00 P.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the 51<sup>st</sup> AGM without the physical presence of the members at the venue. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company at 26, Industrial Area, Gandhi Nagar, Bhiwara-311001, Rajasthan.

In view of the Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 (read together with Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021 Circular No. 02/2021 dated January, 13, 2021 Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020) and Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 as also the various circulars issued by Securities Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 (read together with Circulars Nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020) (collectively referred as "Applicable Circulars") permitted the holding of AGM by the Companies through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") during the calendar year 2022, without the physical presence of the members. In compliance with these Applicable Circulars, the 51<sup>st</sup> AGM of the Company shall be conducted through VC/OAVM without the physical presence of the members at the venue.

In compliance with the Applicable Circulars, the Notice of the 51<sup>st</sup> AGM and the Annual Report of the Company including audited financial statements for the financial year 2021-22 along with Director's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 29<sup>th</sup> August, 2022 through electronic mode to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The requirements of sending physical copies of the Notice of 51<sup>st</sup> AGM and Annual Report to the Members have been dispensed vide Applicable Circulars.

The Notice of the 51<sup>st</sup> AGM and the Annual Report of the Company are also available on the website of the Company at [www.bslltd.com](http://www.bslltd.com), on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and also on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

**Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:**  
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) and the Applicable Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting (as well as e-voting during the AGM) to its Members to cast their votes electronically in respect of the business to be transacted at the AGM as set forth in the Notice of 51<sup>st</sup> AGM provided by National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorized agency.

The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses have been provided in the Notice of AGM. Login details for e-voting have been made available to the members on their registered email address.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, the 22<sup>nd</sup> September, 2022 to Wednesday, the 28<sup>th</sup> September, 2022 (both days inclusive) for annual closing and for determining the entitlement of the shareholders to the dividend for the financial year 2021-22 as recommended by the Board of Directors of the Company, if declared by the members at the AGM.

The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 21<sup>st</sup> September, 2022, may cast their vote electronically. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 21<sup>st</sup> September, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

The remote e-voting period commences on Saturday, the 24<sup>th</sup> September, 2022 (9:00 A.M. IST) and ends on Friday, the 27<sup>th</sup> September, 2022 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on Tuesday, the 27<sup>th</sup> September, 2022. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The Members, whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on Wednesday, 21<sup>st</sup> September, 2022, i.e. the date prior to the commencement of book closure, will be paid the Dividend of Rs. 1.2/- (12%) per Equity Share of the face value of Rs. 10/- each for the financial year 2021-22, as recommended by the Board, if declared at the 51<sup>st</sup> AGM of the Company, within 30 days from the date of AGM.

The voting rights of the members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, 21<sup>st</sup> September, 2022. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/ e-voting at the AGM and a person who is not a member as on the cut-off date should treat the notice of the AGM for information purpose only.

In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. the 21<sup>st</sup> September, 2022, he/she may obtain login id and password by sending a request over at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) mentioning demat account number/folio number, PAN, name and registered address. Such Members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of 51<sup>st</sup> AGM. However, members who are already registered with NSDL for e-voting can use their existing User id and Password for casting their vote through remote e-voting/ e-voting at the AGM.

The facility of e-voting shall be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business(es) set forth in Notice. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

Members, whose email address is not registered with the Company or with their respective Depository Participant(s), are requested to get their email address registered by following the steps as given below:

- In case of Physical shareholding**  
Send a duly signed request letter in Form ISR-1 along with supporting documents to the RTA of the Company i.e. MCS Share Transfer Agent Limited (Unit : BSL LTD), F-65, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 or scanned copy on email at [helpdeskdelhi@mcsregistrars.com](mailto:helpdeskdelhi@mcsregistrars.com) and provide the following details/documents for registering email address:  
a) Folio No., b) Name of shareholder, c) Email ID, d) Copy of PAN card (self-attested), e) Copy of Aadhar (selfattested) f) Copy of share certificate (front and back).  
**Following additional details/documents need to be provided in case of updating Bank Account details:**  
a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend, b) the Bank Account type, c) Bank Account Number, d) MICR Code Number, e) IFSC Code, and f) Copy of the cancelled cheque bearing the name of the first shareholder.

**In case of Demat shareholding**  
Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Manoj Maheshwari, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 3355), as Scrutinizer to scrutinize the e-voting procedure in a fair and transparent manner.

The results shall be declared not later than two working days from conclusion of the meeting by posting the same on the website of the Company at [www.bslltd.com](http://www.bslltd.com), website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) and by filing with the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Members may note that the Income Tax Act, 1961 ("IT Act, 1961"), as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a Company after 1st April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Company shall, therefore, be required to deduct Tax at Source (TDS) at the time of making payment of Dividend, if declared by the Shareholders at the AGM. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Company. In order to enable the Company to determine the appropriate TDS rate as applicable, Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 or before 10th September, 2022.

The shareholders are therefore requested to furnish the necessary documents/declarations to the Company at [bslsgm@bslsuitings.com](mailto:bslsgm@bslsuitings.com)/Company's RTA i.e. M/s. MCS Share Transfer Agent Limited to enable the Company in applying the appropriate TDS on Dividend payment.

A separate email communication informing the shareholders regarding this change in the IT Act, 1961 as well as the relevant procedure to be adopted for submission of necessary declarations / documents by them to avail the applicable tax rate has been sent by the Company to the all shareholders on 22<sup>nd</sup> July, 2022 and copy of the said communication is also available on the website of the Company [www.bslltd.com](http://www.bslltd.com).

In case of any queries/grievances, Members may refer to the "Frequently Asked Questions (FAQs) for Members end participation in AGM and remote e-Voting user manual for Members" available at the downloads section of "http://www.evoting.nsdl.com" or call the toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). In case of any grievance connected with facility of remote e-voting or e-voting, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at the designated email ID: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) or at telephone number +91 22 24994360.

By order of the Board  
For BSL Limited  
Sd/-  
Aanchal Patni  
Company Secretary  
Place: Bhiwara  
Date: 29<sup>th</sup> August, 2022  
ACS-43134

**Form No INC-26**  
[Pursuant to rule 30 of the companies (Incorporation) Rules, 2014]

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI  
Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another

In the matter of Sub Section 4 of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

**AND In the matter of 'PEAK PLASTONICS PRIVATE LIMITED'** Having its Registered Office at B-47/179, F.F. Guru Nanak Pura, Laxmi Nagar, East Delhi, Delhi-110092

.....Applicant Company/Petitioner  
Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application before the Regional Director, Northern Region Bench, New Delhi (Central Government) under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 28th August, 2022 for amending clause II of the Memorandum of Association to shift its registered office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Maharashtra (within the Jurisdiction of ROC, Mumbai)".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may either on MCA-21 Portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the objections to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: B-47/179, F.F. Guru Nanak Pura, Laxmi Nagar, East Delhi, Delhi-110092

On Behalf of the Board  
For PEAK PLASTONICS PRIVATE LIMITED  
Sd/-  
**MAHENDRA VASANTRAI DOSHI**  
Director  
DIN: 00123243  
Rtd. 11, Sea Glimpsse, Worli, Worli Hill Road, Mumbai - Maharashtra-400015

Place: Mumbai  
Date: 29/08/2022

**"Form No. URC-2**  
Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act

[Pursuant to Section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 41(1) of the Companies (Authorised Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof and before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar of NCT of Delhi & Haryana at New Delhi that "BHARAT CONSTRUCTION COMPANY" Partnership Firm, may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a company limited by shares.

2. The principal objects of the company are as follows:  
**"TO CARRY ON THE BUSINESS OF ENGINEERS AND CONTRACTORS & TAKE CONTRACT FOR THE CONSTRUCTION OF ROAD, BUILDINGS, BRIDGES AND CIVIL WORKS ETC."**

3. A copy of the draft Memorandum and Articles of Association of the proposed company may be inspected at the office at SCO-99, Sector-17, Huda Jagadhri, Yamuna Nagar, Haryana-150003.

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector-5, IIT Manesar, Gurugram, Haryana-122050, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

Names of Applicant  
1. Mr. Bhoo Singh  
2. Mr. Jag Ram  
Dated : 30<sup>th</sup> August, 2022

**Form No. INC-26**  
[Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, Regional Director, Northern Region, Delhi  
In the matter of the sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

**AND In the matter of Seagull Industrial Adhesives Private Limited** having its registered office at B-27, Sarita Vihar, New Delhi, East Delhi

.....Applicant  
Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the 1st Extra-Ordinary General Meeting of 2022-23 held on Wednesday, the 10th day of August, 2022 to enable the Company to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director Northern Region, Ministry of Corporate Affairs at B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days of the publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered office at the address mentioned below:  
Seagull Industrial Adhesives Private Limited U24295DL1995PTC071494  
B-27, Sarita Vihar, New Delhi, East Delhi  
Email Id: [rakesh@seagull.in](mailto:rakesh@seagull.in)

For and on behalf of the applicant  
Seagull Industrial Adhesives Private Limited  
Sd/-  
**Rakesh Sharma**  
Director  
Date: 30.08.2022  
DIN: 00856526  
A-48, Sector-41, Noida, Uttar Pradesh-201303

**Form No. INC-26**  
[Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, Regional Director, Northern Region, Delhi  
In the matter of the sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

**AND In the matter of Induspro Auto Engineers Private Limited** having its registered office at B-125, New Ashok Nagar, New Delhi

.....Applicant  
Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the 1st Extra-Ordinary General Meeting of 2022-23 held on Monday, the 8th day of August, 2022 to enable the Company to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the

## कृषि सैक्टर में बिजली की मांग को सोलर एनर्जी से पूरी करने के प्रयास करें : मुख्य सचिव

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर



मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि कृषि सैक्टर में बिजली की मांग को सोलर एनर्जी आपूर्ति से पूरी करने के प्रयास किये जाएं। इससे जहां एक तरफ सरकार को कृषि क्षेत्र में दी जा रही भारी सब्सिडी से राहत मिलेगी वहीं किसानों के बिजली खर्च में भी कमी आएगी।

मुख्य सचिव शर्मा शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान को पूरे देश में सोलर एनर्जी के सबसे बड़े सप्लायर के रूप में स्थापित करने के प्रयास करने होंगे। राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपाक सम्भावनाएं हैं और राज्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य

बनकर उभरा है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिलों की आवश्यकतानुसार वहां छोटे-छोटे सोलर प्रोजेक्ट्स स्थापित कर सोलर एनर्जी उत्पादन का डिसेन्ट्रलाइजेशन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाम से रात्री तक बिजली की आवश्यकता अधिक होती है और इसी समय सोलर एनर्जी नहीं बन पाती। अभी राज्य में बैटरी स्टोरेज तो है किन्तु बड़े

स्तर पर ग्रिड सोलर स्टोरेज की सुविधा नहीं है। इसको देखते हुए माही-बीसलपुर डैम जैसे पानी की व्यापक उपलब्धता वाले क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण कर सोलर एनर्जी स्टोरेज स्थापित करने के प्रयास तेज करने होंगे। शर्मा ने 'पीएम कुसुम स्क्रीम' पर चर्चा करते हुए कहा कि व्यक्तिगत किसान की अपेक्षा यदि इसे किसानों के समूहों द्वारा सहकारिता के साथ

अपनाया जाए तो इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। इसके लिए कुछ किसानों के समूहों अथवा छोटे गांवों को एक साथ मिलकर इस योजना को अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा। बैठक में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष टी.रविकान्त ने प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तृत रोडमैप की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान को रिन्युएबल एनर्जी

का हब बनाने के लिए दूरगामी लाभों को दृष्टिगत रखते हुए नीतियां तैयार की गई हैं। उन्होंने बताया कि सोलर एनर्जी उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर तथा विंड एनर्जी में 5वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि भडाला फेस 1 जिसमें 65 डै तथा फेस 2 जिसमें 680 डै सोलर एनर्जी का उत्पादन होगा उसका विकास हो गया है। नोख सोलर पार्क जिसमें 925 डै उत्पादन होगा का कार्य चल रहा है। रविकान्त ने बताया कि राज्य में घरेलू, औद्योगिक, संस्थानिक और अन्य क्षेत्रों में रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं। शहरों और गांवों में आम जनता भी इनमें रूचि तो रही है। बैठक में निगम के जनरल मैनेजर सुमित माथुर तथा नवीन शर्मा भी उपस्थित थे।

## ‘लम्पी की प्रभावी रोकथाम करें, अतिवृष्टि से हुए नुकसान में पीड़ित को समय पर मुआवजा मिले’

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री एवं टोंक जिला प्रभारी शाले मोहम्मद ने सोमवार को उपखण्ड निवाई के पंचायत समिति सभागार में जिले के विभिन्न विभागों की बैठक लेकर लम्पी स्कैन डिजीज की रोकथाम और अतिवृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा की। जिले में लम्पी स्कैन डिजीज की स्थिति एवं पशुओं के टीकाकरण को लेकर प्रगति जानी। उन्होंने लम्पी स्कैन डिजीज से बचाव व

रोकथाम को लेकर ग्रामीणों को निरन्तर जागरूक करते रहने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को मालपुरा व टोड़ारायसिंह क्षेत्र में टीमें बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीमें उसी क्षेत्र में एक-दो दिन रुककर वॉलंटियर तैयार करें, जो आसपास के पशुपालकों को इस बीमारी को लेकर जागरूक कर सकें। डिजीज के उपचार को लेकर दवाईयों की उपलब्धता

की सुनिश्चिता रखी जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। प्रभारी मंत्री ने पशुपालन विभाग के उप निदेशक अशोक कुमार पाण्डे को बीमारी की रोकथाम को लेकर प्रभावी कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शाले मोहम्मद ने जिले में विगत सप्ताह हुई अतिवृष्टि से उपजे हालात की समीक्षा की। उन्होंने जिले में जन हानि, पशुहानि एवं कच्चे घरों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी ली। साथ ही जिला

क्लेक्टर चिमयी गोपाल को अतिवृष्टि के दौरान जान गवाने वालों को समय पर मुआवजा दिलवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने जिला क्लेक्टर, कृषि विभाग के अधिकारियों से फसल खराबे की जानकारी ली। अतिवृष्टि से हुए फसल खराबे का सही आकलन कर उचित मुआवजा दिलवाने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति संवेदनशील रहकर कार्य करें।

हाजिर मांग से धनिया

वायदा कीमतों में तेजी

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली।

हाजिर बाजार में मजबूती के रुख को देखते हुए स्टोरीयों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया जिससे वायदा कारोबार में मंगलवार को धनिया की कीमत 36 रुपये की तेजी के साथ 11,320 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। एनसीडीईएक्स में धनिया के सितंबर में डिक्लीवरी वाले अनुबंध की कीमत 36 रुपये अथवा 0.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 11,320 रु. प्रति क्विंटल हो गई। विश्लेषकों ने कहा कि हाजिर बाजार में मजबूती के रुख से धनिया वायदा कीमतों में तेजी आई।

## बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली।

हाजिर बाजार में कमजोरी के रुख को देखते हुए कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा कारोबार में मंगलवार को बिनौलातेल खली की कीमत 14 रुपये की गिरावट के साथ 2,714 रुपये प्रति क्विंटल रह गई। एनसीडीईएक्स में बिनौलातेल खली के सितंबर माह में डिक्लीवरी वाले अनुबंध की कीमत 14 रुपये अथवा 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,714 रुपये प्रति क्विंटल रह गई जिसमें 45,300 लॉट के लिए कारोबार हुआ। हाजिर बाजार में कमजोरी के रुख के बीच मौजूदा स्तर पर कारोबारियों की बिकवाली से मुख्यतः यहां बिनौलातेल खली वायदा कीमतों में गिरावट आई।

## पाकिस्तान में बाढ़ के कहर के चलते 500 रुपए किलो टमाटर और 400 रुपए में प्याज, भारत से आयात की तैयारी

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली

श्रीलंका के बाद एक और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भयंकर महंगाई से जूझ रहा है। पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई और अब सब्जियों जैसे जरूरी सामानों में महंगाई की आग पकड़ रही है। पाकिस्तान के लाहौर और पंजाब प्रांत के अन्य हिस्सों में आए विनाशकारी बाढ़ के कारण विभिन्न सब्जियों और फलों की कीमतों में भारी उछाल के बीच पाकिस्तान सरकार भारत से टमाटर और प्याज का आयात की योजना बना रही है। बाजार के थोक व्यापारियों ने यह जानकारी दी। लाहौर बाजार के एक थोक व्यापारी ने बताया कि



लाहौर के बाजारों में टमाटर और प्याज की कीमत क्रमशः 500 रुपए और 400 रुपए किलोग्राम रहा। हालांकि, रविवार के बाजारों में टमाटर और प्याज समेत अन्य सब्जियां नियमित बाजारों की तुलना में 100 रुपए प्रति किलोग्राम कम कीमत पर उपलब्ध थीं। 700 रुपए किलो तक पहुंचेंगे दाम : व्यापारी ने कहा कि आने वाले दिनों में खाद्य पदार्थों की कीमतों और बढ़ेंगी क्योंकि बाढ़ के कारण बलूचिस्तान, सिंध और दक्षिण पंजाब से सब्जियों की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। थोक कारोबारी जवाद रिजवी का कहना है कि आगामी दिनों में प्याज और टमाटर की कीमत 700 रुपए प्रति किलो के पर हो सकती है। इसी तरह आलू की कीमत 40 रुपए किलो से बढ़कर 120 किलो हो गई है। पता चला है कि सरकार वाया कडीशन का भाव) कडीशन का भाव) कडीशन का भाव)

और टमाटर आयात करने के विकल्प पर विचार कर रही है। बाघा बॉर्डर से मंगाएंगे प्याज-टमाटर : अभी लाहौर और पंजाब के अन्य शहरों में तोरखाम बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर आता है लेकिन इसकी आपूर्ति नाकाफी होने पर पाकिस्तान सरकार अब भारत से आयात की तैयारी में है, जो बाघा बॉर्डर से किया जाएगा। लाहौर मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि तोरखाम बॉर्डर से 100 क्विंटन टमाटर और 30 क्विंटन प्याज प्रतिदिन मंगाना जाता है। इसमें से दो टमाटर और एक प्याज के कंटेनर को लाहौर शहर में भेजा जाता है, जो मांग के मुकाबले काफी कम आपूर्ति है।

## सोयाबीन तेल-तिलहन में सुधार, पामोलिन में गिरावट

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली

विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बीच दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में मूंगफली को छोड़ सीपीओ, पामोलिन, बिनौला तेल और सरसों तेल-तिलहनों की कीमतों में गिरावट रही। दूसरी तरफ किसानों के नीचे भाव में सोयाबीन न बेचने से तिलहन के भाव मजबूती के साथ बढ़ हुए। वहीं मूंगफली तेल-तिलहन के भाव पूर्वस्तर पर रहे। बाजार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में 0.2 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि शिकागो एक्सचेंज 1.5 प्रतिशत टूटा। विदेशों में मंदी के रुख और मांग कमजोर रहने से सीपीओ और पामोलिन तेल के भाव में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि आयात महंगा पड़ने से सोयाबीन डीगम की कीमतों में सुधार हुआ है। वहीं किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक होने



और उन्हें अच्छे दामों में बेचने से सोयाबीन तेल-तिलहनों के भाव सुधार के साथ बढ़ हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि वैश्विक बाजार घट रहा है, तो सरकार को खाद्य तेल-तिलहन के खुदरा मूल्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है। थोक बाजार टूटने के बावजूद खुदरा मूल्य में कोई उतार-चढ़ाव न होने से उपभोक्ताओं और किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार को तिलहन उत्पादन बढ़ाने के बारे

में भी सोचना चाहिए क्योंकि विदेशी तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी। इसके अलावा सरकार को किसानों, तेल उद्योगों और उपभोक्ताओं को इस मंदी से उबारने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि सीपीओ और पामोलिन का आयात सस्ता पड़ने और मलेशिया एक्सचेंज में गिरावट से इनके भाव गिरे हैं। दूसरी ओर पामोलिन एवं सीपीओ के भाव गिरने से सरसों तेल में भी

गिरावट दर्ज हुई। सूत्रों ने कहा कि मूंगफली में कारोबार समाप्ति की ओर है और अगले महीने मूंगफली की नई फसल के आने के बाद इसके तेल-तिलहनों के भाव टूटेंगे। फिलहाल स्टॉक की कमी और मांग होने से मूंगफली तेल-तिलहन का भाव पूर्वस्तर पर बढ़ हुआ। आले महीने खरीफ (मूंगफली, सोयाबीन, बिनौला) की फसल आएगी। तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे : सरसों तिलहन - 7,050-7,100 (42 प्रतिशत कडीशन का भाव) रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली - 7170-7295 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) - 16,750 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली सॉल्वेंट रिफाईंड तेल 2,785 - 2,975 रुपये प्रति टिन। सरसों तेल दादरी- 14,100 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों पक्की घानी- 2,230-2,320 रुपये प्रति

टिन। सरसों कच्ची घानी- 2,260-2,375 रुपये प्रति टिन। तिल तेल मिल डिलिवरी - 17,000-18,500 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली- 13,100 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 12,900 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल डीगम, कांडला- 11,550 रुपये प्रति क्विंटल। सीपीओ एक्स-कांडला- 10,050 रुपये प्रति क्विंटल। बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)- 13,500 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन आरबीडी, दिल्ली- 11,900 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन एक्स-कांडला- 10,800 रुपये (बिना जीएसटी के) प्रति क्विंटल। सोयाबीन दाना - 5,550-5,650 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन लूज 5,450- 5,550 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का खल 4,010 रुपये प्रति क्विंटल रहे।

## सब्सिडी वाले उर्वरक अक्टूबर से 'भारत' ब्रांड के नाम से बिकेंगी

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली

यूरिया और डीएपी जैसे सब्सिडी वाले सभी उर्वरकों की बिक्री सरकार अक्टूबर से 'भारत' नाम के एकल ब्रांड के तहत करेगी।

उर्वरकों को समय पर किसानों को उपलब्ध कराने और मालदुलाई सब्सिडी की लागत घटाने के लिए सरकार ऐसा करने जा रही है। केंद्रीय रसायन मंत्री मनसुख मांडवीया ने कहा

कि अक्टूबर से सब्सिडी वाले सभी उर्वरकों को भारत ब्रांड के तहत ही बेचा जा सकेगा। उर्वरक कंपनियों बोरी के एक-तिहाई हिस्से पर नाम, ब्रांड, प्रतीक और अन्य सूचनाएं दे सकेंगी।

**BSL** बीएसएल लिमिटेड  
सीआईएन : L24302RJ1970PLC002266  
पंजीकृत कार्यालय: 26, औद्योगिक क्षेत्र, गांधीनगर, मौलवाड़ा - 311001, (राजस्थान)  
फोन: +91-1482-249101-102, 245000  
ईमेल: accounts@bssltd.com; वेबसाइट: www.bssltd.com

**51वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंदी की सूचना**

17 अगस्त, 2022 को जारी किए गए हमारे अखबार के विज्ञापन के क्रम में, एनए द्वारा सूचित किया जाता है कि बीएसएल लिमिटेड (कम्पनी) की 51वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को 4:00 बजे अपराह्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) /अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से, कार्यक्रम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 51वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय 26, औद्योगिक क्षेत्र, गांधी नगर, मौलवाड़ा-311 001 (राजस्थान) माना जाएगा।

कोविड-19 महामारी के दृष्टिकोण से, ऑनरेंट कार्य मंत्रालय ('एग्रीसीए') ने अपने परिपत्र सं. 02 / 2022 दिनांकित 5 मई, 2022 (के साथ पहिले परिपत्र संख्या 21 / 2021 दिनांकित 14 दिसम्बर, 2021, परिपत्र संख्या 02 / 2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020) एवं परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी इसके विधि परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 (के साथ पहिले परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 एवं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 (सांख्यिक रूप से 'लागू परिपत्रों' के रूप में संदर्भित) के इवाले से कैंलेंडर वर्ष 2022 में कम्पनियों के एजीएम का आयोजन, आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। इन लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी की 51वीं एजीएम आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

लागू परिपत्रों के अनुपालन में, 51वीं एजीएम की सूचना एवं कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 को अंतिम वित्तीय विवरण शामिल है, निदेशकों की रिपोर्ट, अंकों/बकों की रिपोर्ट इसके अतिरिक्त अन्य वांछित संलग्नक दस्तावेजों सहित, 29 अगस्त, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा कम्पनी के सदस्यों, जिनका ईमेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रिनिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत है, को प्रेषित कर दी गई हैं। सदस्यों को 51वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को लागू परिपत्रों के इवाले से समाप्त कर दिया गया है।

51वीं एजीएम की सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट [www.bssltd.com](http://www.bssltd.com) पर, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।

**रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देश:**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के तहत पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 एवं सेबी (सूचीबद्धता बंधनपूर्ण और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 तथा लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों को, 51वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के एजीएम में तयारित होने के सम्बन्ध में, नेशनल डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) - अधिकृत एजेंसी के माध्यम से, रिमोट ई-वोटिंग/के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। डिपेंडेंसियाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेर प्रत्यक्षित रखने वाले शेयरधारक तथा ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, हेतु ई-वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया गया है।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें नूहसविचार, 22 सितंबर, 2022 से बुधवार, 28 सितंबर, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक वार्षिक सम्पादन तथा कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुसूचित लाभांश, एडि एजीएम में सदस्यों द्वारा घोषित किया जाता है, के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

**21 सितंबर, 2022 की कट-ऑफ तिथि** के अनुसार, भौतिक रूप में या डिपेंडेंसियाइज्ड रूप में शेयर प्रत्यक्षित करने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितंबर, 2022 के अनुसार डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुसूचित लाभांशियों के रजिस्टर में दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही एजीएम के दौरान वोट डालने का अधिकार प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 24 सितंबर, 2022 को 9:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ होगी तथा मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को 5:00 बजे अपराह्न समाप्त होगी। मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को 5:00 बजे अपराह्न के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके पश्चात् रिमोट वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

जिन सदस्यों के नाम बुधवार, 21 सितंबर, 2022 अर्थात् पुस्तक बंदी के आरम्भ होने के पूर्व की तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/लाभांशियों की सूची में प्रदर्शित हों, को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रुपये 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के समान शेयर पर रुपये 120 (12%) प्रति समता शेयर के लाभांश, जैसा की मंडल द्वारा अनुसूचित है, यदि 51वीं एजीएम में घोषित किया जाता है, का भुगतान, एजीएम की तिथि के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

सदस्यों के वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 21 सितंबर, 2022 को कम्पनी की प्रवक्त समता शेयर पूंजी में उनकी भागवारी के अनुपात में होगा। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुसूचित लाभांशियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होंगे और जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उन्हें एजीएम की सूचना को जानकारी मात्र के उद्देश्य से उपलब्ध करना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के पश्चात् परन्तु कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितंबर, 2022 के पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह अपने में डीमैट अकाउंट संख्या/फोलियो संख्या, पैन, नाम एवं पंजीकृत पते के उल्लेख सहित [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ऐसे सदस्य कम्पनी द्वारा 51वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया से, ई-वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं। हालांकि, जो सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी एवं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से अपना वोट नहीं डाला है, 33वीं एजीएम सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु एजीएम में पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

वे सदस्य, जिनका ईमेल पता कम्पनी या उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी प्रिनिभागी/ओं के साथ पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि उनके दिए गए धरणों का पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत करें।

**भौतिक शेयर धारिता के मामले में** कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् एग्रीसीए शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (सुनिट: बीएसएल लिमिटेड), एफ-65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-4, नई दिल्ली - 110020 को फॉर्म ISR-1 में सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजे जा उसकी स्कैन की गई प्रति [helpdesk@nsdl.co.in](mailto:helpdesk@nsdl.co.in) पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

क) फोलियो नंबर, ख) शेयरधारक का नाम, ग) ईमेल पता, घ) पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), ङ) आधार की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), च) शेयर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (आंग व पीछे)

**बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण/दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है:**

क) बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, ख) बैंक खाता प्रकार, ग) बैंक खाता संख्या, घ) MICR कोड संख्या, ङ) आईएफएससी कोड, एंव च) प्रथम शेयरधारक के नाम वाले रद किए गए चेक की प्रति

**डीमैट शेयर धारिता के मामले में** कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रिनिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई सुविधाएं अपनाईं। अनुसूचित लाभांश का पालन करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के निष्पन्न और पावरवर्ती तरीके से जांच हेतु भी मनाज महेश्वरी, संचायक सचिव, कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 3355), की संयोग्य के तौर पर नियुक्ति की है।

परिणाम की घोषणा बैठक के सम्पादन से दो दिन के अन्दर, कम्पनी की वेबसाइट [www.bssltd.com](http://www.bssltd.com) पर, एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर प्रदर्शित कर तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) में फाइलिंग कर की जाएगी।

सदस्य ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम, 1961'), जैसा कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, के अधिदेशानुसार 1 अप्रैल, 2020 के पश्चात् किसी कम्पनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के हस्तों में कर योग्य होगा। अतः कम्पनी को लाभांश, यदि शेयरधारकों द्वारा एजीएम में घोषित किया जाता है, का भुगतान बनाने समय जोत पर कर कटौती करने (टीडीएस) की आवश्यकता होगी। टीडीएस की दर शेयरधारक की आबासीय स्थिति एवं उनके द्वारा जमा किए गए तथा कम्पनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग होगी। कम्पनी को उपयुक्त टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 10 सितंबर, 2022 को या उससे पूर्व आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज जमा करें।

अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि आवश्यक दस्तावेज/घोषणाएं कम्पनी को [bslagm@bssltd.com](mailto:bslagm@bssltd.com) पर/कम्पनी के आर्टिफैट अर्थात् एग्रीसीए शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को प्रस्तुत करें ताकि कम्पनी लाभांश के भुगतान पर उचित टीडीएस दर लागू करने में सक्षम हो।

आईटी अधिनियम, 1961 में इस परिवर्तन के साथ ही लागू कर दर का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों द्वारा आवश्यक घोषणाएं/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली वार्षिक प्रक्रिया के बारे में उनको सूचित करने हेतु 22 जुलाई, 2022 को सभी शेयरधारकों को कम्पनी द्वारा एक पृथक ईमेल संसार भेजा गया है एवं उक्त संवार की प्रति कम्पनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध है। [www.bssltd.com](http://www.bssltd.com)

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य [http://www.evoting.nsdl.com](http://http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों हेतु 'फ्रीकॉल्टेडी आरकड क्वेश्चनस (FAQs) एवं एजीएम में भाग लेने हेतु तथा सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका' संदर्भित कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर फोन कर सकते हैं अथवा [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेज सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु, कृपया सुशी पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल को निर्दिष्ट ईमेल आईडी: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) अथवा [pallvid@nsdl.co.in](mailto:pallvid@nsdl.co.in) पर या टेलीफोन नंबर: 91 22 24994360 पर संपर्क करें।

मंडल के आदेशानुसार  
कुर्ते बीएसएल लिमिटेड  
हरता / -  
(ऑबल पापनी)  
कम्पनी सचिव  
एसीएन - 43134

स्थान : मौलवाड़ा  
दिनांक : 29 अगस्त, 2022

# 40% कपल्स स्वयं उठा रहे अपनी वेडिंग का खर्च

नई दिल्ली/एजेंसी

वेडिंगवायर इन्डिया ने एक सर्वे किया है। सर्वे में देश के 220 वेंडर्स को शामिल किया गया। सर्वे में देखा गया कि मिलेनियल कपल्स अपने वेडिंग पर स्वयं की स्पेंड कर रहे हैं। 39.8 प्रतिशत मिलेनियल्स ऐसे हैं जो स्वयं अपनी शादी पर खर्च वहन कर रहे हैं। वेडिंगवायर इन्डिया द नॉट वर्ल्डवाइड के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है। द नॉट वर्ल्डवाइड वेडिंग मेकर्स एवं प्रोफेशनल्स की ऑनलाइन मार्केटप्लेस कम्पनी है।

सर्वे में 31 प्रतिशत वेडिंग रिलेटेड वेंडर्स ने मत जताया कि लेबर की कॉस्ट और अन्य प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ने के कारण वे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। दो बार के मंद वेडिंग सीजन के बाद इस बार सीजन शानदार रहने की उम्मीद है। चालू वर्ष में मार्च से काफ़ी विवाह समारोह



हुए। वेंडर्स ने सर्वे में कहा कि अधिकांश कपल्स अपनी शादी में क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को फोकस कर रहे हैं। गेस्ट लिस्ट की ट्रिमिंग कोविड टाइम ने सिखा दी है। ऐसे में थोड़ा और परसनिलाइज्ड वेडिंग का क्रेज देखा जा रहा है। सस्टेनेबल ऑप्शंस को फोकस किया जाने लगा है।

वेडिंगवायर इन्डिया के मार्केटिंग हेंड ने कहा है कि कोविड पेंडेडिक ने वेडिंग इको-सिस्टम को परिवर्तित लिस्ट की ट्रिमिंग कोविड टाइम ने सिखा दी है। वेडिंगके प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता बढ़ रही है। वेडिंग वेंडर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म आगे बढ़ रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ, ओरल रिव्यूज इसका सबसे बड़ा

कारण है। सर्वे के अनुसार 21.3 प्रतिशत वेंडर्स को वेडिंग वेबसाइट से लीड मिल रही है। इसके अलावा 20.8 प्रतिशत सोशियल मीडिया सहयोग कर रहा है।

अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट होने में करीब तीन माह का वक्त है लेकिन वेडिंग सर्विसेज बुक की जा रही है। 44 प्रतिशत कपल्स ने रिजरवेशंस लेना शुरू कर दिया है। 15 प्रतिशत कपल्स एक माह पूर्व वेडिंग वेनूज बुक करने वाले हैं। इससे पता चलता है कि कोविड ने लोगों का कन्स्यूमर बिहेवियर काफी अल्टर कर दिया है। सर्वे में यह भी रिपोर्ट किया गया कि वर्ष 2019 की तुलना में 2022 में वेडिंग वेंडर्स की प्रतिमाह आय 42.5 प्रतिशत बढ़ी है। कुल मिलाकर सर्वे यह संकेत दे रहा है कि अपकमिंग वेडिंग सीजन बेहतर रहने वाला है।

## अपकमिंग फेस्टिव सीजन के दौरान दार्जिलिंग में चलेंगी 4 नयी 'टॉय ट्रेन'

गुवाहाटी/पीटीआई। एनएफआर ने आगामी त्योहारी सीजन के दौरान दार्जिलिंग हिमालय रेलवे (डीएचआर) की 'टॉय ट्रेन' सेवा के तहत चार नयी विशेष ट्रेन संचालित करने का निर्णय लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि नयी 'टॉय ट्रेन' एक अक्टूबर से दार्जिलिंग और घूम के बीच चलेंगी और 31 दिसंबर तक इनका संचालन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी विशेष ट्रेनों में तीन प्रथम श्रेणी चैयर कार कोच होंगे। अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक प्रथम श्रेणी चैयर कार कोच में 30 सीटें होंगी। इन ट्रेनों के उद्घाटन और समय का विवरण आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिए सार्वजनिक सूचना दी गई है।



**बीएसएल लिमिटेड**

सीआईएन : L24302RJ1970PLC002266

पंजीकृत कार्यालय: 26, औद्योगिक क्षेत्र, गांधीनगर, भोलवाड़ा - 311001, (राजस्थान)

फोन: +91-1482-249101-102, 245000

ईमेल: accounts@bslsuitings.com; वेबसाइट: www.bslltd.com

**51वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंदी की सूचना**

17 अगस्त, 2022 को जारी किए गए हमारे अखबार के विज्ञापन के क्रम में, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि **बीएसएल लिमिटेड ('कम्पनी') की 51वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को 4:00 बजे अपराह्न** बीडियों कॉन्फ्रेंसिंग ('बीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओवीएम') के माध्यम से, कार्यक्रम स्थल पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना, 51वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के सम्बन्धन हेतु आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय 26, औद्योगिक क्षेत्र, गांधी नगर, भोलवाड़ा-311 001 (राजस्थान) माना जाएगा।

कोविड-19 महामारी के दृष्टिकोण से, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने परिपत्र सं. 02/2022 दिनांकित 5 मई, 2022 (के साथ पठित परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांकित 14 दिसम्बर, 2021, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020) एवं परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी इसक विधिवत परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 (के साथ पठित परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 एवं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 (सांस्कृतिक रूप से 'लागू परिपत्रों' के रूप में संदर्भित) के हवाले से कैलेंडर वर्ष 2022 में कम्पनियों के एजीएम का आयोजन, आयोजन स्थल पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('बीसी/ओवीएम') के माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। इन लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी की 51वीं एजीएम आयोजन स्थल पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना बीसी/ओवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

लागू परिपत्रों के अनुपालन में, 51वीं एजीएम की सूचना एवं कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंकेक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, निदेशकों की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट इसक अतिरिक्त अन्य वांछित संदर्भक दस्तावेजों सहित, 29 अगस्त, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा कम्पनी के सदस्यों, जिनका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत है, को प्रेषित कर दी गई है। सदस्यों को 51वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की मौखिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को लागू परिपत्रों के हवाले से समाप्त कर दिया गया है।

51वीं एजीएम की सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट [www.bslltd.com](http://www.bslltd.com) पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु निर्देश:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अधिसूची) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 तथा लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों को, 51वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के एजीएम में सभास्थित होने के सम्बन्ध में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) - अविश्वस्य एजेंसी के माध्यम से, रिमोट ई-वोटिंग/के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डालने की सुविधा प्रदान कर रही है।

डिपेंडेंसियालाइज्ड तौर पर, मौखिक तौर पर शेर प्रतिक्रिया रखने वाले शेरधारक तथा ऐसे शेरधारक जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई-वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया गया है।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेर अंतरण पुस्तकें **बृहस्पतिवार, 22 सितंबर, 2022 से बुधवार, 28 सितंबर, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित)** तक वार्षिक सभापत्र और कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुशंसित लाभांश, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा घोषित किया जाता है, के लिए शेरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

21 सितंबर, 2022 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार, मौखिक रूप में या डिपेंडेंसियालाइज्ड रूप में शेर प्रतिक्रिया करने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितंबर, 2022 के अनुसार डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुशंसित लाभांशियों के रजिस्टर में दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 24 सितंबर, 2022 को 9:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ होगी तथा मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को 5:00 बजे अपराह्न समाप्त होगी। मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को 5:00 बजे अपराह्न के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके पर्यायत् रिमोट वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सदस्यों के नाम बुधवार, 21 सितंबर, 2022 अर्थात् पुस्तक बंदी के आरम्भ होने के पूर्व की तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/लाभांशियों की सूची में दर्शाए जाते हैं, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रुपये 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के समता शेर पर रुपये 1.20 (12%) प्रति समता शेर के लाभांश, जैसा की मंडल द्वारा अनुशंसित है, यदि 51वीं एजीएम में घोषित किया जाता है, का भुगतान, एजीएम की तिथि के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

सदस्यों के वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 21 सितंबर, 2022 को कम्पनी की प्रदत्त समता शेरों सूची में उनकी भागीदारी के अनुसार में होगा। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुशंसित लाभांशियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होगा और जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उन्हें एजीएम की सूचना को जानकारी मात्र के उद्देश्य से व्यवहृत करना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के पर्यायत् परन्तु कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21 सितंबर, 2022 के पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह अपने में डीमेट अकाउंट संख्या/ओवीएम संख्या, पैन, नाम एवं पंजीकृत पते के उल्लेख सहित [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ऐसे सदस्य कम्पनी द्वारा 51वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया से, ई-वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं। हालांकि, जो सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी एवं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से अपना वोट नहीं डाला है, 30वीं एजीएम सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु एजीएम में पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे। वे सदस्य, जिनका ईमेल पता कम्पनी या उनके सम्बन्ध डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ओं के साथ पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत करें:

मौखिक शेर धारिता के मामले में	कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् एमसीएस शेर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (यूनिट: बीएसएल लिमिटेड), एफ-65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 को फॉर्म ISR-1 में सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें या उसकी स्कैन की गई प्रति <a href="mailto:helpdesk@delhi@mcscsregistrars.com">helpdesk@delhi@mcscsregistrars.com</a> पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:
क) फोलियो नंबर, ख) शेरधारक का नाम, ग) ईमेल पता, घ) पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वमागणित), ङ) आधार की प्रतिलिपि (स्वमागणित), च) शेर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (आगे व पीछे)	
बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण/दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है:	
क) बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, ख) बैंक खाता प्रकार, ग) बैंक खाता संख्या, घ) MICR कोड संख्या, ङ) आईएफएससी कोड, एवं च) प्रथम शेरधारक के नाम वाले रद किए गए चेक की प्रति	
डीमेट शेर धारिता के मामले में	कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमेट खाता में पंजीकृत करें।
कम्पनी के निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हेतु श्री मनोज महेश्वरी, सहायक सचिव कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 3355), की संवीक्षक के तौर पर नियुक्ति की है। परिणाम की घोषणा बैठक के समापन से दो दिन के अन्दर, कम्पनी की वेबसाइट <a href="http://www.bslltd.com">www.bslltd.com</a> पर, एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> पर प्रदर्शित कर तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> पर एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> पर फालिंग कर की जाएगी।	
सदस्य ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम, 1961'), जैसा कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, के अधिदेशानुसार 1 अप्रैल, 2020 के पर्यायत् किसी कम्पनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। अतः कम्पनी को लाभांश, यदि शेरधारकों द्वारा एजीएम में घोषित किया जाता है, का भुगतान बनाने समय सीत पर कर कटौती करने (टीडीएस) की आवश्यकता होगी। टीडीएस की दर शेरधारक की आवासीय स्थिति एवं उनके द्वारा जमा किए गए तथा कम्पनी द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग होगी। कम्पनी को उपयुक्त टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 10 सितंबर, 2022 को या उससे पूर्व आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज जमा करें।	
अतः शेरधारकों से अनुरोध है कि आवश्यक दस्तावेज/घोषणाएं कम्पनी को <a href="mailto:bslagm@bslsuitings.com">bslagm@bslsuitings.com</a> पर/कम्पनी के आरटीए अर्थात् एमसीएस शेर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को प्रस्तुत करें ताकि कम्पनी लाभांश के भुगतान पर उचित टीडीएस दर लागू करने में सक्षम हो।	
आईटी अधिनियम, 1961 में इस परिवर्तन के साथ ही लागू कर दर का लाभ उठाने के लिए शेरधारकों द्वारा आवश्यक घोषणाएं/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रारम्भिक प्रक्रिया के बारे में उनको सूचित करने हेतु 22 जुलाई, 2022 को सभी शेरधारकों को कम्पनी द्वारा एक पृथक ईमेल संचार भेजा गया है एवं उक्त संचार की प्रति कम्पनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध है: <a href="http://www.bslltd.com">www.bslltd.com</a>	
किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य <a href="http://www.evoting.nsdl.com">"http://www.evoting.nsdl.com"</a> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों हेतु फ्रीकॉल आरकड क्वेरेशन्स (FAQs) एवं एजीएम में भाग लेने हेतु तथा सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका/संदर्भित कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर फोन कर सकते हैं अथवा <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> पर अनुरोध भेज सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु, कृपया सूची पल्लवी मन्दा, प्रबंधक, एनएसडीएल को निर्दिष्ट ईमेल आईडी: <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> अथवा <a href="mailto:pallivid@nsdl.co.in">pallivid@nsdl.co.in</a> पर या टेलीफोन नंबर 01 22 24994360 पर संपर्क करें।	
मंडल के आदेशानुसार कृते बीएसएल लिमिटेड हस्ता/— (ऑफिस पता) कम्पनी सचिव एसीएस-43134	
स्थान : भोलवाड़ा	
दिनांक : 29 अगस्त, 2022	

## दिल्ली एनसीआर में वर्ष 2021 में 111% बढ़े साइबर फ्रॉड

नयी दिल्ली/पीटीआई

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में राष्ट्रीय राजधानी में इससे पिछले वर्ष की तुलना में साइबर अपराध में 111 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। मामले बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यौन शोषण बताया गया है। आंकड़ों के अनुसार, इनमें से अधिकतर मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न, कामुक सामग्री के प्रकाशन आदि से जुड़े थे।

दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर अपराध के लिए एक अलग शाखा के साथ-साथ एक सोशल मीडिया सेंटर बनाने के बावजूद इन मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार, गत वर्ष साइबर अपराध के 356 से अधिक मामले सामने आए, जिसमें से अधिकतर अपराधियों के खिलाफ कामुक सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण के संबंध में मामला दर्ज किया गया है।

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है



कि इन अपराधों को अंजाम देने का मकसद धोखाधड़ी, यौन शोषण और जबरन वसूली करना था। शिकायत करने वालों में ज्यादातर 12 से 17 साल की उम्र की नाबालिग लड़कियां थीं। पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) के पी.एस. मल्होत्रा ने कहा कि कोविड-19 (वैश्विक महामारी) के बाद से हम ऑनलाइन मामले अधिक दर्ज कर रहे हैं। हमने वित्तीय धोखाधड़ी और यौन शोषण के मामलों में वृद्धि देखी है। उन्होंने कहा कि हम केवल शिकायतों का ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट का भी संज्ञान लेते हैं।

## अब व्हाट्सएप पर चैट कर जियोमार्ट से करें शॉपिंग

नई दिल्ली/आईएनएस। टेक दिग्गज मेटा और जियो प्लेटफॉर्मस ने एंड-टू-एंड शॉपिंग अनुभव लॉन्च किया, जहां उपयोगकर्ता व्हाट्सएप चैट का उपयोग करके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियोमार्ट से खरीदारी कर सकते हैं। नया अनुभव ग्राहकों को जियोमार्ट कैटलॉग ब्राउज़ करने, कार्ट में उत्पाद जोड़ने और व्हाट्सएप के भीतर खरीदारी करने में सक्षम करेगा। मेटा के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि भारत में जियोमार्ट के साथ अपनी साझेदारी शुरू करने के लिए उत्साहित हूँ। यह एक व्हाट्सएप पर हमारा पहला एंड-टू-एंड शॉपिंग अनुभव है। लोग अब चैट में सीधे जियोमार्ट से क्रिकने का सामान खरीद सकते हैं।

बिजनेस मैसेजिंग वास्तविक गति वाला क्षेत्र है और इस तरह के चैट-आधारित अनुभव आने वाले वर्षों में लोगों और व्यवसायों के बीच संचालन करने का तरीका होगा। लॉन्च भारत के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने और

सभी आकार के लोगों और व्यवसायों को नए तरीकों से जुड़ने और देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करने के लिए मेटा और जियो प्लेटफॉर्मस के बीच एक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि जब जियो प्लेटफॉर्मस और मेटा ने 2020 में हमारी साझेदारी की घोषणा की, तो मार्केट और मैंने अधिक लोगों और व्यवसायों को ऑनलाइन लाने और

वास्तव में अभिनव समाधान बनाने का एक दृष्टिकोण साझा किया जो प्रत्येक भारतीय के दैनिक जीवन में सुविधा जोड़ देगा। यह ग्राहक अनुभव का एक उदाहरण है जिसे विकसित करने पर हमें गर्व है, वह व्हाट्सएप पर जियोमार्ट के साथ पहला एंड-टू-एंड शॉपिंग अनुभव है। उपयोगकर्ता व्हाट्सएप के जियोमार्ट नंबर पर केवल हाथ भेजकर व्हाट्सएप के माध्यम से जियोमार्ट पर खरीदारी शुरू कर सकते हैं।



## नए स्पोर्ट्स साॉफ्टवेयर को डवलप कर रहा आईआईटी

- इन्डियन स्पोर्ट्स प्लेयर्स होंगे लाभान्वित
- स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग की मदद से खेल के शरीर विज्ञान और जैव-यांत्रिकी की गहरी सज़ाबूझ मिलती है

नई दिल्ली/एजेंसी

देश में आईआईटी जैसे संस्थान अब एज्युकेशन के साथ-साथ ओलंपिक खेलों में भारत की मदद करेंगे। इसके लिए भारत सरकार ने कुछ खास खेलों को चुना है इनमें तीरंदाजी, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, बैडमिंटन, कुश्ती, हॉकी, मारोत्तोलन, साइकिलिंग और एथलेटिक्स शामिल हैं। आईआईटी में खास रिसर्च के माध्यम से ऐसे साॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं जिनको मदद से भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए अधिक मेडल जीत सकें। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वर्ष 2024 के ओलंपिक में भारत को ज्यादा पदक दिलाने के लक्ष्य से आईआईटी बॉक्सिंग एनालिटिक्स साॉफ्टवेयर का विकास करेगा।

स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग अभी शिक्षा का नया क्षेत्र है। परस्पर संबद्ध विषयों के इस विशेष क्षेत्र में गणित, भौतिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी संचालित विषयबल का उपयोग होता है। स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग की मदद से किसी खेल के शरीर विज्ञान और जैव-यांत्रिकी की गहरी सज़ाबूझ मिलती है। इससे खेल की चुनौतियों को सुलझाने और बेहतर खेल



उपकरण तैयार करने में मदद मिलेगी। ओलंपिक 2024 में मैडलस की संख्या बढ़ाना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने कुछ खास खेलों को चुना है जिन्हें बढ़ावा देने के प्रयास तेज किए जाएंगे। इनमें तीरंदाजी, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, बैडमिंटन, कुश्ती, हॉकी, मारोत्तोलन, साइकिलिंग और एथलेटिक्स शामिल हैं। भारत जैसे विकासशील देशों को ओलंपिक पदक जीतने में सफलता मिलने में लगभग एक दशक या अधिक समय लगता है। लेकिन आज खिलाड़ियों के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार करने में प्रौद्योगिकी मुख्य भूमिका निभाती है। आईआईटी मद्रास ने इसी दृष्टिकोण से स्मार्ट बॉक्सर का विकास किया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता

इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स (आईआईएस) टीम के साथ मिल कर एक कारगर किफायती विश्लेषण प्लेटफॉर्म का विकास कर रहे हैं। इसका मकसद 2024 ओलंपिक मुक्केबाजी में भारत के पदक की संख्या में बढ़ोतरी करना है। स्मार्टबॉक्सर नामक विश्लेषण प्लेटफॉर्म का विकास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड एनालिटिक्स कर रहा है। यह मल्टी वर्जन साॉफ्टवेयर इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) सक्षम सेंसर और वीडियो कैमरों के उपयोग से फीडबैक और प्रदर्शन का मूल्यांकन सामने रख कर भारतीय एथलीटों को उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाने में मदद करेगा। इस शोध में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित सेंसर और वीडियो कैमरों के

उपयोग से खिलाड़ी के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाएगा। इसमें आईओटी आधारित प्रोडक्ट का उपयोग शामिल है। पंच फोर्स के विश्लेषण के लिए सेंसर लगे लम्ब, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स रिकॉर्ड करने के लिए प्रेशर सेंसर के साथ खिलाड़ी के शरीर के नीचले भाग का मूवमेंट रिकॉर्ड करने के लिए वायरलेस फ्लूट इनसोल, वायरलेस ईएमजी सेंसर हैं। खिलाड़ी के शरीर के ऊपरी भाग का मूवमेंट रिकॉर्ड करने के लिए इन्शियल मूवमेंट यूनिट है। बॉक्सिंग रिंग में लगे वीडियो कैमरे खिलाड़ी के बाएं और दाएं हाथ की पहचान करेंगे और उनके मूवमेंट को अटैक, डिफेंस या फेंट के रूप में वर्गीकृत करेंगे। कर्नाटक के बेल्गावी स्थित इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स (आईआईएस) में मुक्केबाजों के प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए स्मार्टबॉक्सर लागूया जाएगा। आईआईएस के फीडबैक के आधार पर स्मार्टबॉक्सर के एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म में बदलाव किए जाएंगे। इस तरह कोच और मुक्केबाज इस साॉफ्टवेयर का अधिक कारगर उपयोग कर पाएंगे। स्मार्टबॉक्सर आईओटी मद्रास के विभिन्न प्रयासों में एक है जो अधिक से अधिक ओलंपिक पदक जीतने के भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरे करने में संस्थान ने किए हैं। इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स (आईआईएस) में युवा विकास (बॉक्सिंग) के प्रमुख जॉन वारबर्टन ने कहा, इस सिस्टम से हम किसी मुक्केबाज के प्रदर्शन का विश्लेषण कर उसमें काफ़ी सुधार कर पाएंगे। हम मुक्केबाजों को उनकी ताकत के साथ-साथ यह भी बता पाएंगे कि किन पहलुओं में विकास करना होगा। यह उच्च कोटि के एथलीट के बीच सेतु का काम करेगी।